पत्रांक–DHESec1/RU-संबंधन–104/2022/HTESD................/

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,

(उच्च शिक्षा निदेशालय)

योजना भवन, तृतीय तल्ला, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची–834002

प्रेषक,

सुधीर बाड़ा,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलसचिव,
राँची विश्वविद्यालय, राँची।

राँची, दिनांक ..../

विषय :– **संत जेवियर्स महाविद्यालय, सिमडेगा को शैक्षणिक सत्र के लिए अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण प्रदान करने के संबंध में**

प्रसंग :– आपका पत्रांक–25 दिनांक–13.01.2025 एवं पत्रांक–127 दिनांक–12.08.2025

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि राज्य सरकार ने संत जेवियर्स महाविद्यालय, सिमडेगा को विश्वविद्यालय की अनुशंसा के आलोक में स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में बिना किसी वित्तीय भार के एवं इंटर रहित अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण के प्रस्ताव में समीक्षोपरांत झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा 04 (19) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अद्योलिखित विवरणी के अनुसार कंडिका–2 में अंकित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की है:–

क्र०	संकाय स्तर	विषय	सत्र	अभियुक्ति
1.	कला संकाय	हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र	2025–29, 2026–30 एवं 2027–31 के लिए	अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण
2.	वाणिज्य संकाय	सभी समूहों में		

02. शर्तः–

(i) यह महाविद्यालय स्थायी संबंधन/संबंधन दीर्घीकरण हेतु पत्रांक–BSU-16/86-1096 (जी०एस०1) दिनांक–19.04.1986 एवं संबंधन संबंधी निदेशालीय पत्रांक–749, दिनांक–13.04.2018 द्वारा निर्गत नवगठित परिनियम द्वारा निर्धारित शर्तो एवं यू०जी०सी० द्वारा निर्धारित शर्तो को सदैव पूरा करेगा।

(ii) विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन में अधिरोपित शर्तों एवं पूर्व में विभाग द्वारा दिये गए शर्तो का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(iii) महाविद्यालय को यू०जी०सी० अधिनियम (यथा संशोधित) की धारा–5 के तहत छः माह के अन्दर NAAC Accreditation कराना अनिवार्य होगा।

(iv) आरक्षण नियमों का अक्षरशः अनुपालन अनिवार्य होगा।

विश्वासभाजन

ह०/–
(सुधीर बाड़ा)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक– DHESec1/RU-संबंधन–110/2022/HTESD...1966.../ रांची, दिनांक–..16/10/2025

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, संत जेवियर्स महाविद्यालय, सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15.10.25

(सुधीर बाड़ा)
निदेशक, उच्च शिक्षा।